



2026:AHC:128292

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 18417/2026

विष्णु पासवान

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक(कों) के अधिवक्ता

: सुनील कुमार

विपक्षी के अधिवक्ता

: दिनेश कुमार शर्मा, जी0ए0, शालू यादव,
विनय कुमार

न्यायालय संख्या - 48

माननीय न्यायमूर्ति लक्ष्मीकांत शुक्ला

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री सुनील कुमार, राज्य की ओर से पेश हुए ए0जी0ए0, शिकायतकर्ता के अधिवक्ता श्री विनय कुमार की बातें सुनीं और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को देखा।

2. यह जमानत अर्जी, मुकदमा अपराध संख्या 82/2026 बी0एन0एस0 की धारा 191(2), 115(2), 109 और 3(5) के तहत, थाना- कप्तानगंज, जिला- कुशीनगर में सुनवाई चलने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की गुजारिश के साथ दायर की गई है।

3. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि 26.03.2026 को रात लगभग 9:00-9:30 बजे, पुरानी रंजिश के कारण, आवेदक और चार अन्य सह-आरोपियों ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता के भाई रोहित पासवान को उसके घर की दहलीज पर अकेले बैठे हुए पाया। आरोप है कि आवेदक और सह-आरोपियों ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया और घटना के दौरान,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक ने कथित तौर पर चाकू निकालकर घायल व्यक्ति के पेट पर वार किया। इसके बाद, घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस से सीएचसी मथौली ले जाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल, अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में उन्हें बी०आर०डी० मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया, जहाँ वह 05.04.2026 तक भर्ती रहा। इलाज के दौरान, उसे लगी चोटों का ऑपरेशन किया गया।

4. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक बेगुनाह है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अधिवक्ता का यह भी कहना है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उसे कभी किसी आपराधिक मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है। इसके अलावा, अधिवक्ता का कहना है कि घटना में इस्तेमाल किए गए चाकू की कथित बरामदगी पूरी तरह से झूठी है और पुलिस ने इसे केवल अभियोजन पक्ष के मामले को मज़बूत करने के लिए प्लांट किया है, जबकि असल में आवेदक के पास से ऐसी कोई चीज़ कभी बरामद नहीं हुई थी। साथ ही, इस कथित बरामदगी की पुष्टि किसी स्वतंत्र गवाह ने भी नहीं की है। अधिवक्ता का यह भी कहना है कि आवेदक की गिरफ्तारी मनमानी और असंवैधानिक है। आवेदक लगभग 23 साल का युवा और अविवाहित व्यक्ति है और उसका भविष्य उज्ज्वल है। यह भी कहा गया है कि अभियोजन पक्ष की कहानी और गवाहों के बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभास और विसंगतियाँ हैं। इसके अलावा, घायल व्यक्ति को कथित तौर पर लगी गंभीर चोटों को साबित करने के लिए रिकॉर्ड में कोई मेडिको-लीगल रिपोर्ट नहीं है। अधिवक्ता का तर्क है कि तथाकथित घायल व्यक्ति केवल आठ से नौ दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा। रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि कथित चोटों के कारण वह अपनी सामान्य दिनचर्या के काम करने में असमर्थ हो गया था। इसलिए, अभियोजन पक्ष इस चरण में चोटों की गंभीरता को साबित करने में विफल रहा है। आवेदक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। आवेदक 27.03.2026 से जेल में बंद है। यदि उसे ज़मानत दी जाती है, तो वह ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



5. इसके उलट, विद्वान अपर सरकारी अधिवक्ता और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने ज़मानत की अर्जी का विरोध किया और कहा कि भले ही रिकॉर्ड में कोई अलग मेडिको-लीगल रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है, लेकिन जांच के दौरान इकट्ठा की गई जानकारी से साफ़ पता चलता है कि घायल व्यक्ति को लगी चोट गंभीर थी। उन्होंने आगे कहा कि जब घायल व्यक्ति को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, तो वहां मौजूद डॉक्टर ने उसकी हालत की गंभीरता को देखते हुए, प्राथमिक उपचार और घाव की ड्रेसिंग करने के बाद उसे तुरंत एक बड़े चिकित्सा केंद्र में रेफर कर दिया। इसके बाद, घायल की गंभीर हालत को देखते हुए उसे ज़िला अस्पताल, कुशीनगर और बाद में बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर रेफर किया गया, जहां उसकी सर्जरी हुई और वह बताई गई अवधि तक अस्पताल में भर्ती रहा। विद्वान ए.जी.ए. और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने आगे कहा कि ज़मानत अर्जी के पेज 58 और 59 पर मौजूद घायल के इलाज के रिकॉर्ड चोट की गंभीरता को साबित करते हैं। पेपर बुक के पेज 58 और 59 पर मौजूद घायल के इलाज के रिकॉर्ड इस प्रकार हैं।

"मरीज़ 27/03/26 को सुबह लगभग 1:38 बजे सर्जरी इमरजेंसी में आया। उसे मारपीट के कारण पेट में अंदर तक जाने वाली चोट और बाएं हाथ के ऊपरी हिस्से व चेहरे पर चोट लगी थी।

- ई-फास्ट टेस्ट किया गया, जिससे पेट के अंदर थोड़ी मात्रा में खून जमा होने का संकेत मिला (27/03/26)।

- छाती और पेट के एक्स-रे से डायफ्राम के दाहिने हिस्से के नीचे हवा होने का पता चला।

निदान: आंत में छेद के साथ अंदर तक जाने वाली चोट।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



इलाज: 27/3/26 को जनरल एनेस्थीसिया के तहत जान बचाने वाली सर्जरी 'एक्सप्लोरेटरी लैपरोटॉमी' की गई और छेद (1x0.5 सेमी) की शुरुआती मरम्मत की गई।

ओटी नोट्स:- जान बचाने वाली एक्सप्लोरेटरी लैपरोटॉमी + 50 एमएल मवाद निकालना + पेरिटोनियल लैवेज (पेट की सफाई) + छेद (1 X 0.05 cm) की कैप्चर (यह छेद डीजे से 2 1/2 फीट आगे और आईसी से 5 फीट पहले था) + बाएं हिस्से में ड्रेन लगाना + पेट की परतों को बंद करना।

- सर्जरी के बाद का समय बिना किसी परेशानी के बीता।

- बाएं हाथ की चोट के लिए ऑर्थोपेडिक रेफरल किया गया।

उन्होंने घाव पर टांके लगाकर और ड्रेसिंग करके इलाज किया।"

6. ए0जी0ए0 और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने आगे कहा कि चाकू मारने की मुख्य भूमिका खास तौर पर आरोपी की रही है। पेपर बुक के पेज 63 पर मौजूद डॉ. जूली चंद के बयान का हवाला देते हुए कहा गया कि घायल व्यक्ति के पेट के बाईं ओर चाकू से गहरा घाव हुआ था। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तैनात डॉ. गयासुद्दीन के बयान पर भी भरोसा जताया गया, जिन्होंने बताया कि घायल के पेट के बाईं ओर गहरी चोट लगी थी और चोट की गंभीरता को देखते हुए, घाव की ड्रेसिंग करने के बाद उन्होंने मरीज को ज़िला अस्पताल, कुशीनगर रेफर कर दिया। ए0जी0ए0 और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता के अनुसार, इलाज करने वाले डॉक्टरों द्वारा तुरंत रेफर किया जाना ही यह बताता है कि चोट गंभीर थी और जानलेवा हो सकती थी। इसलिए, यह कहा गया है कि आरोपी पर एक गंभीर अपराध करने में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप है और इस वजह से वह ज़मानत पाने का हकदार नहीं है। उन्होंने ज़मानत अर्जी को खारिज करने की मांग की।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



7. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों और मेडिकल रिकॉर्ड, साथ ही सी0एच0सी0 और बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर के डॉक्टरों के बयानों पर विचार करने के बाद, न्यायालय का मानना है कि यह ज़मानत के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। इसलिए, आवेदक विष्णु पासवान की ज़मानत अर्ज़ी खारिज की जाती है।

19 जून, 2026

विक्रम

(लक्ष्मी कांत शुक्ला, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।